

**बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग**

संख्या— प्र07/नियम—03/2016

अधिसूचना

7521 (S)

पटना, दिनांक - 28.9.18

बिहार के राज्यपाल, बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता, भाग-1 (1958) (समय-समय पर यथा संशोधित) की कंडिका 163 की उपकंडिका (2) को तुरन्त के प्रभाव से प्रतिस्थापित करते हैं :-

(2) तकनीकी बोली (Technical Bid) के मूल्यांकन के पश्चात् वित्तीय बोली (Financial Bid) के मूल्यांकन हेतु यदि मात्र एक ही निविदा शेष हो अथवा प्रथम बार की गयी निविदा में, कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हो तो तुरन्त दोबारा निविदा आमंत्रित की जाएगी।

परन्तु आपवादिक परिस्थिति में, ऐसी एकल वित्तीय बोली वाली निविदा पर प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षतावाली विभागीय निविदा समिति द्वारा ऐसे कार्यों के लिए विभागीय मंत्री का इस आशय का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् निर्णय लिया जा सकेगा कि प्रासंगिक परिस्थिति प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य आपातकालीन प्रकृति की स्थिति, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, पड़ोसी देशों से हितकारी संबंधों इत्यादि के कारण है। संबंधित कार्य के निविदा आमंत्रण के पूर्व ही विभागीय मंत्री का उक्त अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।”

बिहार राज्यपाल के आदेश से


28.9.18
(रत्नेश कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- प्र07/नियम—03/2016

7522 (S)

पटना, दिनांक - 28.9.18

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28.9.18

सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।



ज्ञापांक :- प्र07/नियम-03/2016 7522 (9)

पटना, दिनांक - 28.9.18

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- प्र07/नियम-03/2016 7522 (9)

पटना, दिनांक - 28.9.18

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उनके अधिसूचना ज्ञापांक-एम-4-12/2015-7806 (वि0) दिनांक 30.09.2016 के आलोक में प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- प्र07/नियम-03/2016 7522 (9)

पटना, दिनांक - 28.9.18

प्रतिलिपि: सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- प्र07/नियम-03/2016 7522 (9)

पटना, दिनांक - 28.9.18

प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- प्र07/नियम-03/2016 7522 (5) पटना, दिनांक - 28.9.18

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- प्र07/नियम-03/2016 7522 (5) पटना, दिनांक - 28.9.18

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

